न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर

अपील (प्रकरण) संख्या :– 03/2025 जीसीएमएस नम्बर 2025/06

उनवानी प्रकरण :–

उचित मूल्य दुकानदार रामवकील सिंह एफपीएस कोड–18878 ग्राम पंचायत बसई घीयाराम तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर (राज.) ––––– अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी धौलपुर ––––––––– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 24.12.2024 प्रकरण संख्या 3/2024 उनवानी सरकार बनाम उचित मूल्य दुकानदार रामवकील द्वारा जिला रसद अधिकारी धौलपुर

उपस्थिति :–

अपीलान्ट की ओर से :– श्री अमिल बघेला अभिभाषक धौलपुर।
रेस्पोडेण्ट की ओर से :– सहायक लोक अभियोजक प्रथम धौलपुर

निर्णय दिनांक 10.02.2026

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील जिला रसद अधिकारी धौलपुर के निर्णय दिनांक 24.12.2024 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट ग्राम पंचायत बसईघीयाराम तहसील राजाखेड़ा का उचित मूल्य दुकानदार है जिसका एफ.पी.एस. कोड–18878 है। उक्त उचित मूल्य दुकान की दिनांक 17.01.2024 को प्रवर्तन निरीक्षक गजेन्द्र बाबू शर्मा ने निरीक्षण किया जिसमें उनके द्वारा मौके पर उचित मूल्य दुकान बिना किसी सूचना के बन्द होना, राशन डीलर अनुपस्थित होना, वक्त जांच दुकान का नक्शा/प्राधिकार पत्र/स्टॉक रजिस्टर एवं अन्य दस्तावेज जांच के लिये उपलब्ध होना नहीं पाया गया, पीएनजीकेवाई का बैनर उचित मूल्य दुकान पर लगा हुआ नहीं होना पाया गया, उचित मूल्य दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर; मुताबिक रिकॉर्ड गेंहू–83.20 क्वि0 कम होना पाया गया आदि अनियमितताऐं बताई गई। इसके अतिरिक्त दिनांक 17.01.2024 को ही प्रवर्तन निरीक्षक गजेन्द्र बाबू शर्मा उचित मूल्य दुकानदार रामवकील सिंह से अटैच उचित मूल्य दुकान संख्या 9771 ग्राम पंचायत सदापुर तहसील

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

राजाखेड़ा की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया गया जिसमें निम्नलिखित अनियमितताऐं पायी गईं मौके पर उचित मूल्य दुकान बिना किसी सूचना के बन्द होना पाया गया एवं राशन डीलर अनुपस्थित होना पाया गया। वक्त जांच दुकान का नक्शा/प्राधिकार पत्र/स्टॉक रजिस्टर एवं अन्य दस्तावेज जांच के लिये उपलब्ध होना नहीं पाया गया। पीएनजीकेवाई का बैनर उचित मूल्य दुकान पर लगा हुआ नहीं होना पाया गया। उचित मूल्य दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर मुताबिक रिकॉर्ड गेंहू–70.00 क्वि0 कम होना पाया गया। उक्त निरीक्षण के बाद प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा उचित मूल्य दुकानदार रामवकील एफ.पी. एस. कोड–18878 का प्राधिकार पत्र अग्रिम आदेशों तक निलम्बित कर दिया गया। इसके उपरान्त जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा निर्णय दिनांक 24.12.2024 पारित कर उचित मूल्य दुकानदार रामवकील एफ.पी.एस. कोड–18878 का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। जिला रसद अधिकारी धौलपुर पारित निर्णय दिनांक 24.12.2024 से व्यथित होकर यह अपील अपीलान्ट निम्नलिखित एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है। निर्णय अंतर्गत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान में प्रचलित विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत जाकर पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। निर्णय अंतर्गत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व सामग्री के विपरीत जाकर पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। निर्णय अंतर्गत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा रूप से अपीलान्ट को सुनवाई का एवं अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बिना पारित कर अहम कानूनी भूल की है। निर्णय अंतर्गत अपील अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना न्यायिक मस्तिष्क प्रयुक्त किये पारित किया है। निर्णय अंतर्गत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रिज्यूडिस होकर एवं राजनैतिक प्रभाव में आकर पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं है एवं अपास्त किये जाने योग्य है। राजस्थान सरकार के नियमानुसार उचित मूल्य दुकान पर दुकानदार द्वारा राशन वितरण नियमानुसार प्रत्येक माह की एक तारीख से 15 तारीख तक करना होता है चूंकि प्रत्येक माह की 1 तारीख से 15 तारीख तक राशन वितरण किया जाता है तथा उसके उपरान्त माह के शेष दिनों में राशन वितरण नहीं करना होता है। ऐसी स्थिति में शेष दिनों में राशन वितरण नहीं होने के कारण उचित मूल्य दुकान बन्द रहती है जबकि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 17.01.2024 को अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण करना अंकित किया गया है एवं उस दिन अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान का राशन वितरण तिथि नहीं होने से दुकान बन्द थी एवं अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार भी मौके पर मौजूद नहीं था। वह अन्यत्र अपने कार्यवश बाहर गया हुआ था। जहां तक प्रश्न पीएमजीकेवाई के बैनर का उचित मूल्य दुकान पर नहीं लगे होने का है तो ऐसा बैनर उचित मूल्य दुकान पर नियमानुसार अपीलान्ट ने लगाया हुआ था। वास्तविकता तो यह है कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा उचित मूल्य दुकान पर गये बिना ही कार्यालय में बैठकर राजनैतिक प्रभाव में आकर अपनी रिपोर्ट असत्य रूप से तैयार की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित मूल्य दुकान की राशन तिथियों को ध्यान मे ंना रखकर एवं प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा तैयार की गई उक्त असत्य रिपोर्ट पर आंख बन्द कर विश्वास कर निर्णय अंतर्गत अपील पारित करने में अहम तथ्यात्मक एवं कानूनी भूल की है। अतः निर्णय अंतर्गत अपील अपास्त किये जाने योग्य है। उचित मूल्य दुकान पर राशन वितरण नियमानुसार प्रत्येक माह की 1 तारीख से 15 तारीख को होने की वजह से दिनांक 17.01.2024 को अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान राशन

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

वितरण दिवस नहीं होने से बन्द थी तो ऐसी स्थिति में जबकि उचित मूल्य दुकान बन्द थी तो दुकान बन्द होने के बावजूद भी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा उचित मूल्य दुकान नं0 18878 का भौतिक सत्यापन कैसे कर लिया गया और मुताबिक रिकॉर्ड गेंहू–83.20 क्वि0 कम होना कैसे अपनी जांच रिपोर्ट में अंकित किया गया यह सामान्य ज्ञान से परे है। इसी प्रकार से अटैच उचित मूल्य दुकान नं0 9771 जो उपरोक्त प्रकार से बन्द थी, उसका भी भौतिक सत्यापन कर गेंहू–70.00 क्वि0 कम होना कैसे अंकित किया गया जबकि उचित मूल्य दुकान बन्द होने पर भौतिक सत्यापन करना संभव ही नहीं है। इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान बाबत् दी गई कतई असत्य जांच रिपोर्टस पर आंख बन्द कर बिना न्यायिक मस्तिष्क प्रयुक्त किये निर्णय अंतर्गत अपील पारित करने में अहम तथ्यात्मक एवं कानूनी भूल की है। जहां तक प्रश्न प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में उचित मूल्य दुकान नं0 18878 पर गेंहू–83.20 क्वि0 कम होना पाये जाने का है तो अव्वल तो दुकान का भौतिक सत्यापन करना सम्भव ही नहीं था इसके अतिरिक्त यह भी कि वास्तविकता में उस दिन उचित मूल्य दुकान नं0 18878 में 83.20 क्वि0 गेंहू कम नहीं था अपितु 75.00 क्वि0 गेंहू उचित मूल्य दुकान में उपलब्ध था क्योंकि पॉश मशीन में दर्ज स्टॉक गेंहू–13.00 क्वि0 था एवं 62.00 क्वि0 गेंहू दिनांक 06.01.2024 को आया था जो माह फरवरी 2024 के पेटे आया था किन्तु उसका इन्द्राज पॉश मशीन में नहीं था नियमानुसार माह फरवरी 2024 के पेटे आए गेंहू का इन्द्राज पॉश मशीन माह फरवरी में करती है। ऐसी स्थिति में माह जनवरी 2024 में आये 62.00 क्वि0 गेंहू का इन्द्राज पॉश मशीन में नहीं हुआ था। इस प्रकार से कुल गेंहू 75 क्वि0 हुआ जो मुताबिक रिकॉर्ड है एवं यह गेंहू आज भी उचित मूल्य दुकान में रखा हुआ है। उक्त तथ्य की पुष्टि कार्यालय जिला रसद अधिकारी धौलपुर के पत्र क्रमांकः–रसद/अभि./2024/948 तारीखी 08.05.2024 से होती है। इसी प्रकार से अटैच उचित मूल्य दुकान संख्या 9771 के संबंध में प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी जांच रिपोर्ट में गेंहू–70.00 क्वि0 कम होना पाया गया। सर्वप्रथम तो यह कि उचित मूल्य दुकान उस दिन बन्द थी ऐसी स्थिति में भौतिक सत्यापन किया जाना संभव नहीं था। इस प्रकार से 70.00 क्वि0 गेंहू कम होने का तथ्य कतई असत्य अंकित किया गया है। सही तथ्य यह है कि उचित मूल्य दुकान संख्या 9771 में गेंहू–4965 किलोग्राम था और यही स्टॉक आज भी दुकान में मौजूद है जो बिल्कुल सही था। इस प्रकार से उक्त वास्तविक व रिकॉर्ड संबंधी तथ्यों को नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय अंतर्गत अपील पारित करने में अहम तथ्यात्मक एवं कानूनी भूल की है। उक्त प्रकरण के संबंध में प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 17.01.2024 को उचित मूल्य दुकान एफपीएस कोड–18878 के संबंध में एक निरीक्षण प्रपत्र तैयार किया गया जिसके तथ्य प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा 17.01.2024 को तैयार की गई पहली जांच रिपोर्ट से भिन्न है। इस निरीक्षण प्रपत्र में गजेन्द्र शर्मा का पद डीएसओ होना लिखा है और नीचे जांचकर्ता पर भी उसी के हस्ताक्षर हैं एवं इस पर दो गवाह मनोज कुमार व दिनेश कुमार के हस्ताक्षर .है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अंतर्गत अपील में ऐसी जांच रिपोर्ट का कोई हवाला नहीं है इस प्रकार से निर्णय अंतर्गत अपील में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किस जांच रिपार्ट पर आधारित होकर निर्णय अंतर्गत अपील पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के कार्यालय की पत्र क्रमांक रसद/अभि./2024/194 दिनांक 24.01.2024 एवं 555 दिनांक 19.02.2024 द्वारा तहसीलदार राजाखेड़ा एवं कार्यवाहक प्रवर्तन निरीक्षक से उचित मूल्य

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

दुकानदार एफपीएस कोड–18878 की पुनः जांच करवाई गई जिसमें कुल 75.00 क्वि0 गेंहू की अनियमितता पाये जाने का कथन किया गया और उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने हेतु थानाधिकारी राजाखेड़ा को लिखा गया। इस संबंध में थानाधिकारी राजाखेड़ा द्वारा दिनांक 03.05.2024 को एक नोटिस धारा 91 जा0फौ0 का जिला रसद अधिकारी धौलपुर को दिया गया जिस पर कार्यालय जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा उक्त 75.00 क्वि0 गेंहू के बाबत् सूचना दी गई जिसमें 75.00 क्वि0 गेंहू मुताबिक रिकॉर्ड उचित मूल्य दुकान पर पाया गया और इसी आधार पर अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज एफआईआर नं0 64/2024 थाना राजाखेड़ा धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पुलिस द्वारा एफआर लगाई गई और अपीलान्ट के द्वारा कोई अनियमितता व गबन होना नहीं पाया गया। इस प्रकार से प्रवर्तन निरीक्षक गजेन्द्र बाबू शर्मा की जांच रिपोर्ट दिनांक 17.01.2024 व तहसील राजाखेड़ा एवं कार्यवाहक प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है और ऐसी भिन्न जांच रिपोर्ट आने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय अंतर्गत अपील आंख बन्द कर पारित करने में अहम तथ्यात्मक एवं कानूनी भूल की है। अपीलान्ट को उचित मूल्य दुकान एफपीएस कोड–18878 के प्राधिकार पत्र को दिनांक 22.01.2024 को निलम्बित किये जाने संबंधी आदेश की कोई जानकारी अथवा सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गई एवं इसी प्रकार से नोटिस दिनांक 06.02.2024 दो किता उचित मूल्य क्रमांक 18878 व अटैच दुकान नं0 9771 बाबत् आज तक कभी अपीलान्ट को प्राप्त नहीं हुआ यदि उपरोक्त नोटिस दिनांक 06.02.2024 का है एवं नोटिस में 08.02.2024 को जवाब पेश करने हेतु अंकित किया गया है जबकि सामान्य तौर पर जवाब के लिये समय 7 दिवस का कम से कम दिया जाता है। यह तथ्य दर्शाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किस प्रकार से तुरत फुरत कार्यवाही अमल में लाई गई और इसी प्रकार से निर्णय अंतर्गत अपील तारीखी 24.12.2024 की भी कोई जानकारी अपीलान्ट को नहीं रही और ना ही प्रकरण की किसी भी आदेशिका पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर है। निर्णय अंतर्गत अपील पारित किये जाने से पूर्व एवं वक्त निर्णय अपीलान्ट को ना तो सुना गया और ना ही उसे अपना पक्ष रखने का कोई अवसर प्राप्त हुआ। न्याय का यह नैसर्गिक सिद्धान्त है कि प्रत्येक पक्षकार को सुनवाई व अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिये इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के प्रावधानों की कतई पालना नहीं की गई और ऐसे आवश्यक प्रावधानों को अनदेखा कर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अंतर्गत अपील पारित करने में अहम तथ्यात्मक एवं कानूनी भूल की है। क्लॉज 11/16 राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 को भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखा किया गया है। अन्त में अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर आक्षेपित निर्णय दिनांक 24.12.2024 अपास्त फरमाया जावे एवं प्राधिकार पत्र को वहाल किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया कि उन्हें इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर अपील की पत्रावली के साथ संलग्न की गई।

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

अपील पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 17.01.2024 को अपीलान्ट की उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण करना बताया है जबकि उस दिन राशन वितरण तिथि नहीं होने के कारण व आवश्यक कार्य से बाहर जाने के कारण दुकान बन्द थी। पीएमजीकेवाई का बैनर दुकान पर लगा हुआ था। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दुकान पर गये बिना ही कार्यालय में बैठकर अपनी रिपोर्ट असत्य रूप से तैयार की गई है। दुकान बन्द होने के बावजूद भी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा उचित मूल्य दुकान नम्बर 18878 का भौतिक सत्यापन कैसे कर लिया गया तथा मुताबिक रिकॉर्ड गेंहू 83.20 क्वि0 कम होना कैसे बताया गया। वास्तविकता में उस दिन उचित मूल्य दुकान पर 75 क्वि0 गेंहू उपलब्ध था। पॉश मशीन में दर्ज स्टॉक गेंहू 13 क्वि0 तथा 62 क्वि0 गेंहू दिनांक 06.01.2024 को आया था जो माह फरवरी 2024 के पेटे आया था। अपीलान्ट को जबाव प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिनांक 06.02.2024 को जारी किया गया जिसका जबाव दिनांक 08.02.2024 को पेश करना था। नोटिस की उचित माध्यम से तामील नहीं कराई गई। नोटिस अपीलान्ट को प्राप्त नहीं हुआ। नोटिस की दोनों प्रति पत्रावली में मौजूद हैं तथा उस पर कोई प्राप्ति के हस्ताक्षर अथवा तामीलकर्ता की रिपोर्ट अंकित नहीं है। इसके बाद पुनः कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और ना ही जबाव पेश करने एवं पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया जबकि प्रकरण में निर्णय दिनांक 24.12.2024 को सुनाया गया। मा0 न्यायालय द्वारा 15.7.2025 को स्टॉक को खराबे से बचाने के लिए उचित मूल्य की दुकान एफपीएस कोड–18878 ग्राम पंचायत बसईघीयाराम तहसील राजाखेडा के तत्कालीन डीलर रामवकील (अपीलान्ट) के पास तत्समय की गई कार्यवाही के समय उपलब्ध मिले गेहूँ व उसकी गुणवत्ता की जॉच/सत्यापन कर गेहूँ वितरण योग्य पाये जाने की स्थिति में गेहूँ एफपीएस कोड–18878 दुकान के अटैच राशन डीलर को सुपुर्द कर उपभोक्ताओं को वितरण कराये जाने के आदेश जिला रसद अधिकारी को दिये जाने के उपरान्त भी रेस्पोडेण्ड द्वारा गेंहू को अटैच राशन डीलर को सुपुर्दगी में नहीं दिलाया गया जिससे गेंहू खराब हो गया जिसके कारण अपीलान्ट को 75 क्वि0 गेंहू के बदले 27रू प्रति किग्रा. की दर से 202500/– रूपये राजकोष में जमा कराने पड़े। प्रकरण में टीकेन्द्र सिंह तहसीलदार एंव कार्यवाहक प्रवर्तन निरीक्षक राजाखेडा ने मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय धौलपुर के समक्ष दिनांक 15.01.2025 को मु.नं. 64/2024 धारा 3,7, ईसी एक्ट थाना राजाखेडा में कोई कानूनी कार्यवाही नही चाहने बावत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। चूंकि अपीलान्ट द्वारा 75 क्वि0 गेंहू की सम्पूर्ण राशि जमा करा दी गई है तथा तहसीलदार एंव कार्यवाहक प्रवर्तन निरीक्षक राजाखेडा द्वारा अदम बकू गलतफहमी में स्वीकार किया है तथा प्रकरण में प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे एवं प्राधिकार पत्र वहाल किये जाने के आदेश दिये जावे।

रेस्पोडेण्ट एवं उनकी ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक प्रथम ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि प्रवर्तन निरीक्षण द्वारा दिनांक 17.01.2024 को उ0मू0 दुकान एफपीएस 18878 के निरीक्षण के दौरान दुकान बन्द पाई गई। जिसके संबध में

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

सूचना पट्ट पर कोई कारण अंकित नही पाया गया। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा रिकॉर्ड उपलब्ध नही कराया। दुकान में 83.20 क्वि. गेहू कम पाया गया। उपरोक्त अनियमितताओं के संबध में उचित मूल्य दुकानदार को नोटिस दिनांक 06.02.2024 को जारी कर दिनांक 08.02.2024 तक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। अपीलान्ट द्वारा कोई जवाब/साक्ष्य प्रस्तुत नही किया। तहसीलदार एंव कार्यवाहक प्रवर्तन निरीक्षक से उचित मूल्य दुकान की पुनः जांच कराई गई जिसमें 75 क्वि. गेहूं की अनियमितता पाई गई। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा गंभीर अनियमितता किए जाने पर दिनांक 24.12.2024 से अपीलान्ट राशन डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया।

हमने विद्धान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने के आदेश दिनांक 24.12.2024 के विरूद्व पेश की है। जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने अपने उक्त आदेश में मुख्य रूप से अपीलान्ट रामवकील सिंह उचित मूल्य दुकानदार ग्राम बसईधीयाराम एफपीएस कोड–18878 तहसील राजाखेडा का प्राधिकार पत्र इस आधार पर निरस्त किया है कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 17.01.2024 को निरीक्षण के दौरान उ0मू0 दुकानदार रामवकील सिंह एफपीएस कोड 18878 दुकान बंद पायी गई एवं जांच के दौरान उचित मूल्य दुकानदार रामवकील एफपीएस कोड 18878 द्वारा नक्शा/प्रा0पत्र/स्टॉक रजिस्टर एवं अन्य दस्तावेज वास्ते जांच उपलब्ध नहीं होना पाया गया तथा जांच के दौरान उचित मूल्य दुकान एफपीएस कोड 18878 पर 83.20 क्वि. गेंहू कम होना पाया गया। इस संबध में अपीलान्ट का यह तर्क विचारणीय है कि जब निरीक्षण के दौरान दुकान बन्द पाई गई तथा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा यह किस प्रकार निर्धारित किया कि उचित मूल्य दुकान एफपीएस कोड 18878 का भौतिक सत्यापन करने पर मुताबिक रिकॉर्ड गेहूं 83.20 क्वि. कम पाया गया। इस संबध में प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जिला रसद अधिकारी धौलपुर को प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 17.01.2024 का अवलोकन किया। रिपोर्ट में इस संबध में कोई अंकन नही है कि गेहूं के कम होने का आंकलन किस प्रकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अपीलान्ट को जारी नोटिस दिनांक 06.02.2024 का अवलोकन किया पत्रावली में उक्त नोटिस की दोनो प्रति उपलब्ध है तथा नोटिस पर अपीलान्ट पर तामील होने के कोई हस्ताक्षर नही है ना ही तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट अंकित है। ना ही पत्रावली पर ऐसा कोई अन्य दस्तावेज उपलब्ध है जिससे यह समाधान हो जाए कि अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त करने से पूर्व उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील विधिवत कराया जाना नहीं पाया गया है। इससे जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये एकतरफा निर्णय पारित किया है। न्याय का यह नैसर्गिक सिद्वांत है कि प्रत्येक पक्षकार को सुनवाई व अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 24.12.2024 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण जिला रसद अधिकारी धौलपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि वह अपीलान्ट को विधिवत पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाकर अपीलान्ट द्वारा उठाए

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज.)

गए प्रश्नों के सम्बध में पूर्ण विवेचन करते हुए गुणावगुण के आधार पर स्पीकिंग आदेश पारित किया जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी धौलपुर को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर, धौलपुर